रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253062
CG-DL-E-15032024-253062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1299] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
No. 1299] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1365(अ)—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कुकवेयर और यूटेंसिल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने से छूट गए, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इस आदेश को खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, यूटेंसिल्स और केन्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, यह आदेश 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग-** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा:

बशर्ते इसके अलावा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यमों के संबंध में यह आदेश 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा:

बशर्ते इसके अलावा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के संबंध में यह आदेश 1 मार्च, 2025 से प्रभावी होगा:

बशर्ते इसके अलावा कि इस आदेश में से कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पोर्टल' के तहत पंजीकृत उद्यमों द्वारा स्वदेशी रूप से विनिर्मित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथा सत्यापित उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण.- यह ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, यूटेंसिल्स और केन्स	14756:2022	स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स
	1660:2009	रॉट एल्युमीनियम यूटेंसिल्स
	13983:1994	घरेलू उपयोग के लिए स्टेनलेस स्टील सिंक
	9396 (भाग 1): 1987	खाद्य और पेय पदार्थ के लिए राउंड ओपन टॉप सेनिटरी केन्स – टिनप्लेट
	14407:1996	पेय पदार्थों के लिए एल्युमीनियम केन्स

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी -29026/14/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 14th March, 2024

S.O. 1365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cookware and Utensils (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages (Quality Control) Order 2024.

(2) Save as otherwise provided in this order, it shall come into force on the 1st September, 2024.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in the Column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in Column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to Small Enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 1st December, 2024:

Provided also that in relation to Micro Enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 1st March, 2025:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Column (1) of the said Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages	14756:2022	Stainless Steel Utensils
	1660:2009	Wrought Aluminium Utensils
	13983:1994	Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes
	9396 (Part 1): 1987	Round Open Top Sanitary Cans for Foods and Drinks- Tinplate
	14407:1996	Aluminium cans for beverages

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/14/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA